

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 621]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 11, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 3-48-2010-दो-बी-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन में, प्रविष्टि 1 चिकित्सा अधिकारी (क) चिकित्सा के सामने, कालम (5) में, शब्द तथा अक्षर “या बी. डी. एस. डिग्री” का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 3-48-2010-दो-बी-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के नाम से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 2nd December 2010

No. F. 3-48-2010-II-B-3.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Medico-legal Institute (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule III, against entry 1. Medical Officer (a) Medical, in column (5), the words and letters “or B. D. S. Degree” shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

1241